दां.प्रकी.(जमा.) 4200/2004

**06.12.2004**

**माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार**

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री महेश बोडा,
जन अभियोजक श्री ओ.पी.राठी, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में गर्दन पर गम्भीर चोट पहुंचाने का आरोप अभियुक्त-प्रार्थी अब्दुल समद के विरूद्ध नहीं है न चाकू की बरामदगी इससे की गई है। इसका साथ आना मात्र बताया गया है और चाकू निकालना बताया गया है, मगर गम्भीर चोट इस अभियुक्त द्वारा नहीं पहुंचाई गई। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि यह अभियुक्त भी साथ था। सामान्य नीयत थी। मारपीट की गई है और गम्भीर चोट कारित की गई है। अत: अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। चूंकि गर्दन पर कथित रूप से आई

गम्भीर चोट इस अभियुक्त द्वारा कारित नहीं की गई है, प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी अब्दुल समद को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अब्दुल समद पुत्र अब्दुल खालिक योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

**(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)**

जी.एन.शर्मा